ORIGINAL RESEARCH PAPER

History

KEY WORDS: .

# महिला पुलिस की एतिहासिक पृष्ठभूमि

**डॉ0 के0के0 शर्मा** एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज, मोदीनगर

**डॉ0 रिम्पी गुप्ता** पी0डी0एफ0, एम0एम0 कॉलेज, मोदीनगर

आज से कई हजार वर्ष पूर्व प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी बताया था। प्लेटो ने भी कहा था कि जो व्यक्ति राज्य के बिना रह सकता है वह या तो पशु हो सकता है अथवा देवता, अर्थात मनुष्य में पशु व देवता दोनों के गुण होते हैं और यही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोभ, मोह व स्वार्थ के वशीभूत होकर वैध व अवैध मार्ग पर चलकर अपने ही समाज में अव्यवस्था उत्पन्न कर डालता है इसी अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करने और समाज के उच्छृंखल एवं उददण्ड स्वभाव के सदस्यों को प्रताडित करके समाज को व्यवस्थित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा उतनी ही आवश्यक थी जितनी समाज के अस्तित्व के लिए वैयक्तिक सद्गुण।

पुलिस वह अभिकरण है जिसके माध्यम से राज्य ने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार पुलिस शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पोलिशिया अथवा इसी के समानार्थी लैटिन शब्द पोलिटिया शब्द से हुई है। इन ग्रीक अथवा लैटिन मूलों के अन्य व्युत्पन्न शब्द पॉलिटी अथवा पॉलिसी है। ग्रीक शब्द 'पोलिशिया' नागरिक अथवा राज्य या सरकार के प्रशासन के अर्थ में प्रयुक्त होता है।[1]

यह शब्द लैटिन भाषा के 'पालिटिया' शब्द से लिया गया है जो 'पोलिस' या राज्य के लिए प्रयोग किया गया है वह प्रशासन के एक ढांचे की तरफ संकेत करता है।

प्राचीन भारत में भी राष्ट्र अथवा जनपद के कल्याण और सुख के लिए पुरुष अथवा पुन्निस नामक इसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रमुख कार्य अपराधों को रोकना था। पारम्परिक रूप में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अपराधों के स्वरूप को देखते हुए पुलिस को केवल पुरुषों तक ही सीमित कार्य समझा जाता था। पुलिस बल में एक सम्पूर्ण पुलिस कर्मचारी के रूप में महिला की उपलब्धि पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है परन्तु अलीम ने राज्य, पुलिस केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों में एक भाग के रूप में महिला पुलिस की एक समेकित तस्वीर प्रस्तुत की है।[2]

अमेरिका पुलिस विभाग में महिलाओं की नियुक्ति करने वाला प्रथम देश है[3] महिला पुलिस अब सभी देशों के पुलिस बल का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। सर्वप्रथम न्यूयार्क शहर में सन् 1845 में पुलिस मैट्रेनो की नियुक्ति की गयी।[4] जिसका प्रमुख कार्य पुलिस हिरासत में आयी महिलाओं एवं युवा लड़कियां की कानून व्यवस्था के द्वारा रक्षा करना था।

तत्पश्चात शिकागों में 1893 में, 1903 में महिला पुलिस को प्रशासनिक तौर पर नियुक्त किया गया। 1905 के स्टूटगर्ट (Stuttgort/Federal Republic of Germany) और पोर्टलैण्ड (Port Land Oregon (U.S.A) में महिला पुलिस को पुलिस विभाग में एक कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त, किया गया। 1910 में सबसे पहले नियमित (Regular) महिला पुलिस को लास एन्जिल्स पुलिस विभाग में नियुक्त किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में महिला पुलिस को Volunteer Workers and Part time Worker (अंशकालिक कार्यकर्ता) के रूप में कार्य भार सौंपा गया। लन्दन में 1919 में Metropolitan Women Police को नियुक्त किया गया।[5]

भारतीय पुलिस की गतिविधियों में महिला पुलिस का योगदान उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय इतिहास। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि 310 ईसा पूर्व लिखा गया था, में महिलाओं की सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है हालाकि ऐसा कोई भी तथ्य स्पष्ट रूप में प्रकाश में नहीं आया है कि कब से महिलाऐ नियमित रूप से पुलिस सेवा में अपना योगदान देती रही हैं। महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और सम्राट अशोक के धर्मोपदेश इत्यादि में उपयोगी तथ्य स्पष्ट दिये गये हैं कि किस प्रकार सीता को महिला पुलिस की सुरक्षा एवं निगरानी में रखा गया तथा अशोक के धर्मोपदेशों में भी खुले रूप में प्रतिवेदिकाओं के विषय में भी बताया गया है जो कि राजकीय प्रकोष्ठ की घुसपैठियों से सुरक्षा व प्रतिदिन की सूचनाएं एकत्रित करती थी। इन प्रतिवेदिकाओं द्वारा महिलाओं की सुरक्षा मदद व बेसहारा अथवा असहायों की रक्षा का कार्य करवाया जाता था। अतः यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल में महिलाओं को पुलिस से सम्बन्धित कार्यभार सौपा गया था। अन्तर केवल इतना है कि प्राचीन काल में महिला कर्मियों को सुरक्षाकर्मी, प्रतिवेदिकाओं इत्यादि नामों से पुकारा जाता था।

आधुनिक भारत में सर्वप्रथम सन् 1938 में कानपुर में हुई मजदूर हड़ताल के दौरान महिला की आवश्यकता महसूस की गयी। अतः 1938 में महिला पुलिस की नियुक्ति हुई। 1939 में त्रावणकोर में महिला पुलिस को स्पेशल पुलिस कान्सटेबल के रूप में नियुक्त किया गया। एक महिला हेड कान्सटेबल और 12 महिला पुलिस कान्सटेबल के रूप में नियुक्त की गयी।[6] सन् 1939 में वृहतर मुम्बई में महिला पुलिस ने कार्य करना शुरू किया तथा इसके परिणामस्वरूप शोलापुर,कोल्हापुर व नासिक जिलों में सन् 1950 में उन्होंने कार्य करना प्रारम्भ किया। 1948 में दिल्ली व पंजाब में नियमित रूप से महिला कर्मियों की नियुक्ति कर नींव को मजबूत किया गया। वर्तमान में भारत में अधिकतर सभी राज्यों में महिला पुलिस की नियुक्ति हो चुकी है।

पुलिस कार्यप्रणाली के मूल विकास के प्रारम्भिक दौर में जब महिलाओं के संगठनों के कारण बढ़ते सामाजिक परिवर्तन ने कई क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों के पालन में अहम भूमिका अदा की, महिलाओं को पुलिस सेवा की तरफ आकर्षित किया। महिला एवं बाल अपराधियों की बढ़ती घटनाओं ने महिला पुलिस की आवश्यकता पर बल दिया।[7]

अन्य क्षेत्रों की प्रगति के साथ–साथ पिछले एक दशक में न केवल महिलाओं पर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है वरन महिलाओं में अपराधिक प्रवृति भी काफी तेजी से बढ़ी है इस वृद्धि के कारण अलग–अलग विचारकों के मत अलग–अलग हो सकते हैं किन्तु परिणामतः ऐसा ही है कि अधिकांश विचारक महिलाओं में अपराध वृद्धि का कारण आर्थिक मानते हैं।

चूंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है सन् 2011 की जनगणना में अन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 1, 21, 01, 93, 422 है। इतने बड़े राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु एक विशाल पुलिस बल की आवश्यकता है। पुलिस राज्य सूची का विषय है परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य का अपना पृथक पुलिस बल है इसी प्रकार केन्द्र भी पृथक रूप से अपने पुलिस बल का रख–रखाव करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें राज्यों को उपलब्ध कराता है। आधुनिक युग में विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप समाज विरोधी तत्वों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं।

इस प्रकार पुलिस के लिए बड़ी जटिल और अधिक समस्याएँ उभरकर सामने आई हैं। स्पष्ट है कि नई सामाजिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए पुलिस को भी तैयारी करनी पड़ेगी। अतः भारत संघ की समस्त इकाईयों ने अपने–अपने क्षेत्र[8] में पुलिस बल की स्थापना की है। आज भी पुलिस विभाग में पर्याप्त मात्रा में पद रिक्त पड़े हुए हैं। स्वीकृत पदों पर नियुक्तियों को पूर्ण करते हुए सरकार को नवीन रिक्तियों के माध्यम से पुलिस की संख्या में वृद्धि करते हुए उसके आधुनिकीकरण पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से अपराधों की संख्या तथा उसकी पद्धति में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस बल का सुदृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि पारम्परिक रूप में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अपराधों के स्वरूप को देखते हुए पुलिस के कार्य को केवल पुरुष पद ही सीमित समझा जाता था परन्तु आधुनिक युग में महिला पुलिस को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। इसका प्रमुख कारण है कि प्रारम्भ में पुरुष अपना कार्यभार महिलाओं के साथ नहीं बांटना चाहते थे परन्तु बिना किसी प्रशिक्षण के महिलाओं की योग्यता को देखते हुए उन्हें महत्वपूर्ण कार्यभार सौपा गया। जब सरकार को महिला पुलिस का लाभ दिखा तो उन्हें प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान मिला।[9]

हालांकि महिला पुलिस आधुनिक युग में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है परन्तु बढ़ते हुए अपराधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि महिला थानों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ उनके प्रशिक्षण, सुख, सुविधाओं की भी सम्पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य सभी क्षेत्रों की भांति इस बात से कदापि इन्कार नहीं किया जा सकता कि महिला पुलिस आधुनिक प्रगति के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। महिला पुलिस की योग्यता एवं क्षमता पर तनिक भी संन्देह नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रायः महिला अपराध के कुछ सवाल ऐसे हैं जो महिला अपराधी पुरुष पुलिस को बताने में संकोच करती है। अपराधों की छानबीन जब तक पूरी नहीं होती, जब तक बेबाक सवाल जवाब का आदान प्रदान पुलिस और अपराधी के बीच नहीं होता। यह कार्य महिला पुलिस से ही अपेक्षित है। देश की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों एवं राजकीय उपक्रमों के द्वारा जब भी प्रदर्शन किये जाते हैं तो महिला वर्ग का भरपूर सहयोग लिया जाता है।

यही नहीं वरन् यदि पुलिस को किसी अपराधी को पकड़ने उसके घर जाना पड़ता है तब भी महिला पुलिस को साथ रखना अत्यन्त आवश्यक है ताकि उस अपराधी के परिवार की महिलाये पुरुष पुलिसकर्मी पर कोई आरोप प्रत्यारोपित न कर पाये, इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें महिला पुलिसकर्मी का होना अत्यन्त आवश्यक है जैसे एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों की जांच केवल महिला पुलिसकर्मी ही कर सकती है। विभिन्न अपराधों के लिए महिलाओं से सम्बन्धित जांच–पड़ताल एवं छानबीन के लिए केवल महिला पुलिस को ही अधिकार है महिला पुलिस ही महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही कर सकती है। इसलिए महिलाओं के विरूद्ध बढ़ रहे अपराधों एवं महिला अपराधियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाये।

जिस अनुपात में अपराधों एवं प्रदर्शनों में महिला वर्ग की संख्या अत्यन्त तेजी से बढ़ रही है यदि उसी अनुपात में महिला पुलिस की संख्या को बढ़ावा दिया जाये तो यह संभव है कि पर्याप्त महिला पुलिस से बाल अपराधों एवं महिला अपराधों में कमी लायी जा सके।

यद्यपि आज हमारे देश में महिलाएँ समस्त क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं चाहे वह राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र ही क्यों न हो परन्तु पुरूषों की मान्यता अब भी वही है। विभिन्न वैज्ञानिकों एवं विद्वानों ने पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन का श्रेय दिया है जैसे कि चार्ल्स ने 1982 में पुलिस कार्य में महिलाओं के शारीरिक बल का अध्ययन करके यह पाया कि पुरूषों की यह मान्यता गलत है कि पुलिस कार्य की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए महिलाएँ शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं होती। उन्होंने यह दावा किया कि उचित प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएँ शारीरिक स्वास्थ्य का वह स्तर प्राप्त कर सकती हैं जो कि इस कार्य के लिए अपेक्षित होता है।

समस्त तथ्यों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महिला पुलिस का इतिहास आधुनिक ही नहीं वरन्, प्राचीन है जो कि रामायण, महाभारत के काल से अब तक चला आ रहा है परन्तु जैसे–जैसे समय के साथ–साथ समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि अन्य समस्त क्षेत्रों की भांति महिला पुलिस के क्षेत्र में भी विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। आज भी बहुत से प्रशिक्षण ऐसे हैं जो केवल पुरूषों तक ही सीमित हैं। जब महिलायें बिना किसी प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं तो प्रशिक्षण के द्वारा महिला पुलिस का योगदान अपराधों को समाप्त करने एवं प्रशासनिक दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय होगा।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | एनसाइकलोपीडिया ब्रिटेनिका | – | वॉल्यूम–14(1973) हेमिग्वे बेटन पब्लिशर्स, शिकागो, (1973) |
| 2. | अलीम, शमीम | – | ''बूमैन इन इण्डियन पुलिस स्टार्लिंग पब्लिशर्स, (1991) |
| 3. | ओइंग्स चोले | – | ''वूमैन्स पुलिस'' पैटरसन स्मिथ आफ माउण्ट कैलियर, न्यू जेरेसी, (1969) |
| 4. | बालकिन, जोसेफ | – | ''ह्वाय पुलिसमेन डान्ट लाइक पुलिस वीमैन'' जनरल ऑफ पुलिस साइन्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाल्यूम 16, नं0 1, यू0एस0एस0 |
| 5. | राव एस मोहम्मद | – | ''वूमैन पुलिस इन इण्डिया, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, दिल्ली, 1975 |
| 6. | राव एस मोहम्द | – | ''वूमैन पुलिस इन इण्डिया पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, दिल्ली, 1975 |
| 7. | महाजन, अमरजीत | – | ''इण्डियन पुलिस वूमैन : ए सोशियोलोजिकल स्टडी ऑफ ए न्यूरोल'' दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1982 |
| 8. | गौड, संजय | – | ''भारतीय पुलिस व्यवस्था, बुक एन्कलेव, जयपुर, 2006 |
| 9. | फ्रेजर, बारबरा | – | ''लॉ इन्फोर्समैन्ट इन यू0एस0ए0, 1985 |
| 10. | वूमैन पुलिस इन इण्डिया | – | इण्डियन पुलिस जनरल, वाल्यूम 16 (2) अक्टूबर, 1969 |